कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655 ई-मेल - deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स नं. 07662-241655 वेबसाईट- www.ssmcrewa.com

क्रमांक 29869/स्था/राज/एमसी/2023 रीवा, दिनांक 21/12/23

//आदेश//

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 24123/स्था/राज/एमसी/विज्ञप्ति/2023, रीवा, दिनांक 04.10.2023 के अनुक्रम में दिनांक 10.10.2023 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध **सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा** में उनके नाम के समक्ष दर्शित विभागों में **सीनियर रेसीडेंट** के पद पर निश्चित **मासिक शिष्यावृत्ति रू. 80,811/- (अस्सी हजार आठ सौ ग्यारह रूपए)** पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	अभ्यर्थी की श्रेणी	चयनित श्रेणी	विभाग
1.	डॉ. शुभांगी याग्निक, पिता श्री शरद याग्निक **पताः**- फ्लैट नं. 04, पी.टी.एस. रोड, रीवा (म.प्र.), 486001	अनारक्षित	अनारक्षित	नियोनेटोलॉजी
2.	डॉ. गजेन्द्र सिंह धाकड़, पिता श्री मुरारी लाल **पताः**- शशिकला अपार्टमेंट, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोदाबाग, रीवा (म.प्र.), 486001	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	नियोनेटोलॉजी
3.	डॉ. संतोष घोरमारे, पिता श्री देवाराम घोरमारे **पताः**- ग्राम दुलापुर, तहसील लांझी, जिला बालाघाट (म.प्र.), पिन 481222	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	नियोनेटोलॉजी
4.	डॉ. चिया चौधरी, पिता श्री शशिकांत चौधरी **पताः**- सुमति पी.जी. गर्ल्स हॉस्टल, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.), 486001	ई.डब्ल्यू.एस.	ई.डब्ल्यू.एस.	नियोनेटोलॉजी

नियुक्ति की शर्तें:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जो तीन वर्ष की टेन्युवर अवधि के लिए प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
3. एक वर्ष की टेन्युवर अवधि पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष से संतोषजनक कार्य-व्यवहार की सूचना के आधार पर पुनः 12 माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा।
4. तीन वर्ष की टेन्युवर अवधि उपरांत सेवाएं समाप्त हो सकेंगी।
5. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
6. निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रेक्टिस) करने की अनुमति नहीं होगी।
7. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में एक माह का अग्रिम मानदेय देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

क्रमशः पेज...02

9. इन नियमों अधीन नियुक्त व्यक्ति को एक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं सप्ताह में एक दिन के अवकाश की पात्रता होगी तथा यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश देय नहीं होंगे तथा निर्धारित पात्रता के अतिरिक्त कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
10. पेंशन एवं तत्संबंधी कोई लाभ देय नहीं होगा।
11. नियुक्ति की अवधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधान लागू रहेंगे।
12. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
13. पूर्व से शासकीय सेवा में होने की स्थिति में इस संस्था में कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व संबंधित संस्था के नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश/सेवा से त्यागप पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ.सी. 3–15/2012/1/3, दिनांक 24.12.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी. एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ./सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उपस्थिति दिनांक से 15 दिवस के अंदर म.प्र. मेडिकल काउंसिल, भोपाल का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंकसूची जमा कर दी जावेगी। निर्धारित तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंकसूची जमा न करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
17. संस्था की आवश्यकतानुसार स्थाई रूप से कार्य करने हेतु अन्य विभाग में ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
18. कोविड–19 महामारी को देखते हुए आवश्यकतानुसार कोविड–19 वार्डों में विशेषज्ञता/योग्यतानुसार ड्यूटी लगाई जा सकेगी।

नोटः– प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र............../स्था/राज/एमसी/2023 रीवा, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
3. संयुक्त संचालक सह–अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
4. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
6. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित सीनियर रेसीडेंट की शिष्यावृत्ति का भुगतान मांग संख्या 52–2210705–105–8888 चिकित्सा शिक्षा, 4968 चिकित्सा महाविद्यालय–42 सहायक अनुदान–002, अन्य में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)